सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 03, शुक्रवार, शाके 1944-जून 24, 2022
Asadha 03, Friday , Saka 1944- June 24, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 23, 2022

संख्या प.5(14) क.सं./2022 :-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि अनुसूची के निर्दिष्ट भवन प्राचीन एवं स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अतः राजस्थान स्मारक, पुरावशेष, स्थान, तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 19, सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट भवन एवं उससे संबंधित संरचनाओं को सरंक्षित स्मारक घोषित करने का अभिप्राय रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना द्वारा सूचित करती है कि इस अधिसूचना के राजस्थान के राज-पत्र में प्रकाशित होने से 2 माह के अंदर उक्त भवन एवं उससे संबंधित संरचनाओं में हित रखने वाले व्यक्ति अपनी आपत्तियां राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकते है। उक्त आपत्तियां प्रमुख शासन सचिव; कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत की जावें। उक्त नियत समय में प्राप्त आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

अनुसूची

क्र.स.	स्मारक का नाम	तहसील	जिला	महत्व
1.	शिव मंदिर, नागदा, उदयपुर	बड़गांव	उदयपुर	उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील के ग्राम कैलाशपुरी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर दो चरणों में बना हुआ है। जिसमें एक चरण लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी एवं दूसरा चरण 14वीं से 16वीं शताब्दी का बना प्रतीत होता है। मातृकाओं को स्तंभों में कलात्मक रुप से अलंकृत किया हुआ है। छतों पर अलंकरण भी काफी कलात्मक लिये हुए है। मंदिर का मुख्य शिखर एवं गर्भगृह काफी जीर्णशीर्ण है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग एवं मंडप में स्थित नंदी दोनों ही खंडित अवस्था में है। साथ ही मंदिर परिसर के चारों तरफ के

				लगभग 100 मीटर परिधि क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र भी घोषित किया जाना भी अतिआवश्यक है।
2.	हाड़ीरानी का महल, सलूम्बर, उदयपुर	सलूम्बर	उदयपुर	सलूम्बर हाडीरानी की पवित्र स्थल उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग पर उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर एवं पर्यटक स्थल प्रताप स्मारक चांवड (सराडा) से 40 किलोमीटर दूरी है। इस पोल के दोनो ओर तीन मंजिले भवन में लघु कक्ष बने हुए है। मुख्य द्वार के प्रथम चौक के बांयी तरफ हाड़ाओं के रहने के मुख्य महल तीन मंजिला बने हुए है। इन महलों के सामने ऊंचा प्लेट फार्म बना गया है। जिस पर सीढियों से चढ़ा जाता है। यह महल एवं इसमें बने जालीदार एवं खुल झरोखे बने हुए है। इसी महल के निचले हिस्से में लगभग 30 से 32 स्तंभ से एक बड़ा हॉल संभवतः दीवान-ए-खास या मिटिंग हॉल बना हुआ है। इन महलों के ऊपर एक बड़ी चांदनी व उसमें तालाब की तरफ झरोखें एवं कक्ष लगभग 16-17वीं शताब्दी का बना हुआ है। यहां पर एक बड़ा झरोखा जो की तालाब की ओर बना हुआ है जिस पर कांच व आराइश का चपड़ी वाली चित्रकारी छतों पर कुछ अवशेष के साथ दिख रही है। साथ ही हाड़रानी महल परिसर के चारों तरफ के लगभग 100 मीटर परिधि क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र भी घोषित किया जाना भी अतिआवश्यक है।
3.	जैन मंदिर, कैलाशपुरी, उदयपुर	बड़गांव	उदयपुर	उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील के ग्राम कैलाशपुरी में प्राचीन जैन मंदिर स्थित है। इस जैन मंदिर के पीछे एक छोटा मंदिर है, जो कि इसी जैन मंदिर से संबंद्ध प्रतीत होता है। ये जैन मंदिर लगभग 14-16वीं शताब्दी के बने हुए

				है। गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। मुख्य मंडप में बायीं तरफ एक स्तंभ पर अभिलेख एवं तीर्थकरों सहित उत्कीर्ण है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर तीर्थकरों की प्रतिमायें खंडित अवस्था में विद्यमान है। साथ ही मंदिर परिसर के चारों तरफ के लगभग 100 मीटर परिधि क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र भी घोषित किया जाना भी अतिआवश्यक है।

गायत्री राठौड़,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।